न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या 14/2023 (राजसमन्द आर्डर)

गैनसिंह पिता नीम्बसिंह जी, जाति रावत, निवासी ग्राम हिन्दोला, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. दीपसिंह पिता जग्गासिंह जी, जाति रावत, निवासी पाडाभगड, बनजारी, तहसील टॉडगढ़, जिला अजमेर (राज.)
2. श्रीमती जनक कंवर पत्नी दीपसिंह जी, जाति रावत, निवासी पाडाभगड, बनजारी, तहसील टॉडगढ़, जिला अजमेर (राज.)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अ.–1955 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, भीम दिनांक 16.05.2023 प्रकरण सं॰ 17/2021

———/———

उपस्थित :– 1. श्री आर.एल. रावत अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री पैरोकार सरकार रेस्पोडेन्ट संख्या 3

———/———

निर्णय **दिनांक 11–08–2025**

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1, 2 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम नेड़ी, तहसील भीम में प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की खाता संख्या नया 393 पुराना 384 के आराजी नंबर 14698 रकबा 0.0567 स्थित है। उक्त भूमि विपक्षी संख्या 1 व 2 ने जिन काश्तकारों से कय की जो वर्ष 2020 में विपक्षी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज हो गयी, लेकिन प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि पर प्रार्थी का कब्जा काश्त वर्ष 2003 से निरन्तर चला आ रहा है। प्रार्थी ने चारों ओर पत्थर की कच्चे बाउण्ड्रीवाल बना रखी है, जिसे 12 वर्ष से अधिक समय हो चुका है, जिससे प्रतिकूल कब्जे के आधार पर प्रार्थी खातेदार हो चुका है। विपक्षी संख्या 1 व 2 येनकेन प्रकारेण भूमि हड़पना चाहते हैं तथा प्रार्थी को बेदखल करने पर उतारू हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.08.28 13:43:23 IST
Reason: SelfAttested
उदयपुर (राज.)

2. अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी आदेशिका दिनांक 16–05–2023 को यह आदेश पारित किया कि ''विवादित भूमि पर मौके पर शान्ति होने से पत्रावली पर कोई कार्यवाही नहीं की जाकर प्रार्थना पर इसी स्तर पर बन्द किया जाता है'', जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 25–10–2023 को प्रस्तुत की गयी है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सूचना दी गई, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए, शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री आर. एल. रावत उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

4. अभिभाषक अपीलान्ट ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 27–08–2023 को अपीलान्ट ने जब अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया तब उक्त आदेश की जानकारी हुई। इससे पूर्व उन्हें उक्त आदेश की कोई जानकारी नहीं थी। जानकारी दिनांक से अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मयाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

5. हमने बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

6. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि पत्रावली तामील में नियत थी तथा रेस्पोडेन्ट/विपक्षीगण का कोई जवाब पेश ही नहीं हुआ है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने कथित आदेश पारित कर दिया। रेस्पोडेन्टगण मौके पर कब्जा करने पर आमादा है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि के मौके पर शान्ति कायम होना मानते हुए प्रार्थना पत्र खारिज करने का आदेश पारित कर दिया, जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं पर कोई विवेचन नहीं किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.08.28 13:43:23 IST
Reason: SelfAttested

निरस्त किया जावे तथा अपील के निस्तारण के रेस्पोन्डेन्ट/विपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

7. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं होने से प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करने का निवेदन किया।

8. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि पत्रावली तामील में चल रही थी तथा रेस्पोडेन्ट/विपक्षीगण द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने "विवादित भूमि पर मौके पर शान्ति होने से पत्रावली पर कोई कार्यवाही नहीं की जाकर प्रार्थना पर इसी स्तर पर बन्द किया जाता है", का आदेश पारित कर दिया। उक्त आदेश किस आधार पर पारित किया गया, यह स्पष्ट नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण में अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु यथा प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु पर विवेचन करते हुए उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित करना चाहिए था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी विधिक प्रकिया अपनाये प्रकरण में कोई ड्रोप किये जाने का आदेश पारित कर दिया, जो प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

9. अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 16–05–2023 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में रेस्पोडेन्ट/विपक्षीगण का जवाब लेकर एवं उभयपक्षों को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दुओं पर साक्ष्यों के आधार पर विवचेन करते हुए निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 09–10–2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 11–08–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.08.28 13:43:23 IST
Reason: SelfAttested